न्यायालय राज्य आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन)

COURT OF STATE COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

समाज कल्याण विभाग/Social Welfare Department

बिहार सरकार/Government of Bihar

पत्रांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0 (च0न्या0)-03/2018 - 37/आ0नि0को0 दिनांक-12 जनवरी'19

प्रेषक,

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

सेवा में,

लीड बैंक प्रबंधक,
जिला अग्रणी बैंक, पटना।

विषय :- **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुपालन के तहत जिला पदाधिकारी एवं विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक एवं दिव्यांगजनों के विभिन्न शिकायतों की सुनवाई के लिए चलन्त न्यायालय (लोक अदालत) के आयोजन के सम्बन्ध में।**

प्रसंग :- **जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, समाहरणालय, पटना का पत्रांक-XXXX-01/2018-03/दि0स0को0 दि0-11.01.2019 एवं इस कार्यालय का पत्रांक-930/आ0नि0को0 दि0-13.12.2018**

महाशय,

कृपया उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के सम्बन्ध में जिला अधिकारी, पटना द्वारा प्रेषित जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, समाहरणालय, पटना का पत्रांक-XXXX-01/2018-03/दि0स0को0 दि0-11.01.2019 का संदर्भ लेने की कृपा करें, जिसके अन्तर्गत इस कार्यालय का पत्रांक-930/आ0नि0को0 दि0-13.12.2018 के आलोक में दिनांक-15.01.2019 से 19.01.2019 तक पटना जिले में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुपालन के तहत जिला पदाधिकारी एवं विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक एवं दिव्यांगजनों के विभिन्न शिकायतों की सुनवाई के लिए चलन्त न्यायालय (लोक अदालत) के आयोजन के सम्बन्ध में कार्यक्रम निर्धारित कर तत्वर्णित कार्यक्रमानुसार आवश्यक बैठक में भाग लेते हुए चलन्त न्यायालय के सफल संचालन हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि इस कार्यालय का पत्रांक-930/आ0नि0को0 दि0-13.12.2018 के अन्तर्गत जिला अग्रणी बैंक व जिला में स्थित सभी बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक का कार्यक्रम आयोजित करने का भी निदेश था। जिले में विविध अन्य कार्यक्रमों के आयोजनों की वर्त्तमान परिस्थितियों के आकलन अनुसार सूचित है कि उक्त बैठक दिनांक-16.01.2019 को अपराह्न 4:00 बजे से 5:00 बजे तक सी0आर0सी0 शेखपुरा, पटना निर्धारित की गई है।

अत: अनुरोध है कि जिला अग्रणी बैंक के विषयक मामले से सम्बन्धित प्रभारी पदाधिकारी एवं जिला में स्थित सभी बैंकों के प्रतिनिधियों को निम्न प्रतिवेदन के साथ उक्त बैठक में भाग लेने हेतु निदेशित करने की कृपा करें।

कृ0पृ0उ0............

(क) दिव्यांगजनों के सम्बन्ध में बैंक खाता खोले जाने, रोजगार एवं अन्य कार्यो हेतु ऋण प्रदान किये जाने एवं अन्य प्रदत्त बैंकिंग सुविधाओं से सम्बन्धित ब्यौरा (पिछले तीन वर्षो का)।

(ख) बैंकों द्वारा दिव्यांगजनों को स्वरोजगार एवं अन्य आवश्यकताएँ हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले ऋण से सम्बन्धित दिशा-निर्देश व तत्संबंधी विवरण।

(ग) इस सम्बन्ध में विशेषकर प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना व कौशल विकास से सम्बन्धित प्रतिवेदन।

(घ) राज्य आयुक्त निःशक्तता द्वारा विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठकं पश्चात निर्गत आदेश से सम्बन्धित अनुपालन प्रतिवेदन।

(ङ) अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के सुसंगत प्रावधानों से सम्बन्धित अनुपालन प्रतिवेदन।

(सी0आर0सी0 शेखपुरा, पटना की अवस्थिति इस प्रकार है - सी0आर0सी0 शेखपुरा (पुराना धर्मशाला), आई0जी0आई0एम0एस0 नर्सिंग कॉलेज के बगल में, शेखपुरा मोड़, पिलर संख्या-91 से उत्तर दिशा, बेली रोड, पटना-14)

विश्वासभाजन
12.01.19
राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0 (च0न्या0)-03/2018- 37/आ0 नि0 को0 दिनांक-..12..जनवरी'19

प्रतिलिपिः- अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

12.01.19
राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0 (च0न्या0)-03/2018 - 37/आ0 नि0 को0 दिनांक-..12..जनवरी'19

प्रतिलिपिः- जिला पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

12.01.19
राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।